

राजस्थान सरकार
औषधि नियंत्रण संगठन, स्वास्थ्य भवन तिलक मार्ग, कमरा नं. 315, तृतीय तल
जयपुर राजस्थान

E-mail: drugcontroller1.mh@rajasthan.gov.in
Contact no. 0141-2221760, 2221670

क्रमांक: डीसी/लेखा/2020/

दिनांक:-

समस्त आहरण वितरण, अधिकारी
सहायक औषधि नियंत्रक,
राजस्थान जयपुर।


विषय:- वित्त विभाग के आदेश क्रमांक 08.09.2020 के संबंध में प्राप्त प्रत्युत्तर
आदेश IFMS/ Pay Manager /6558 दिनांक 12.11.2020 के संबंध
में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि वित्त विभाग के आदेश क्रमांक
2004/08.09.2020 के - अनुसार औषधि नियंत्रण संगठन को चि. एवं स्वास्थ्य विभाग का अंग
नहीं माना जा रहा था।

चि. एवं स्वा. विभाग द्वारा वित्त विभाग को अवगत करवाया गया कि औषधि
नियंत्रण संगठन चि. एवं स्वा. विभाग का ही अभिन्न अंग है इसके उपलक्ष्य में निदेशालय कोष
एवं लेखा के आदेश क्रमांक IFMS /Pay Manager /6558 दिनांक 12.11.2020 के द्वारा
औषधि नियंत्रण संगठन को भी चि. एवं स्वा. विभाग का अभिन्न अंग स्वीकार किया गया एवं
Covid-19 की होने वाली माह-सितम्बर से कटौति से भी मुक्त रखे जाने का आदेश प्रदान किया
गया।


अतः समस्त आहरण वितरण अधिकारियों, को निदेशालय कोष एवं लेखा के उक्त
आदेश की पालनार्थ एवं सूचनार्थ प्रेषित है।

संलग्न:- निदेशालय कोष एवं लेखा का आदेश क्रमांक IFMS /Pay Manager /6558
दिनांक 12.11.2020


(राजा राम शर्मा)
औषधि नियंत्रक
राजस्थान जयपुर
दिनांक:- 2.12.2020

क्रमांक: डीसी/लेखा/2020/165

✓ प्रतिलिपी:- प्रभारी सर्वर को अपलोड करने हेतु।


(राजा राम शर्मा)
औषधि नियंत्रक
राजस्थान जयपुर



राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ.5(थ-75)कोष/IFMS/पे-मैनेजर/ 6558

दिनांक 12-11-20

वरिष्ठ तकनीकी निदेशक
एन.आई.सी. वित्त भवन
जयपुर।

विषय:- औषधि नियन्त्रण विभाग के कार्मिकों के वेतन से कोविड-19 की कटौती मुक्त करने के संबंध में।


महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि वित्त विभाग द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि औषधि नियन्त्रण विभाग चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में शामिल है जिसके कारण इस विभाग के कार्मिकों को कोविड-19 की कटौती से मुक्त रखा जाना है।

अतः औषधि नियन्त्रण विभाग के डिपार्टमेन्ट कोड 229 के कार्मिकों के वेतन से कोविड-19 की कटौती नहीं किए जाने का प्रावधान सिस्टम में करवाकर अवगत करवाने का श्रम करावें।

यह वित्त (ई.ए.डी.) विभाग की आई.डी. संख्या 122000106 दिनांक 05.11.2020 द्वारा अनुमोदित है।

भवदीय



(सर्वेश कुमार तिवाड़ी)
निदेशक

दिनांक

क्रमांक: एफ.5(थ-75)कोष/IFMS/पे-मैनेजर/

प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निदेशक, वित्त (बजट) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर
2. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (ई.ए.डी.) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर
3. औषधि नियन्त्रक, स्वास्थ्य भवन, जयपुर


अतिरिक्त निदेशक (IFMS)

ए-ब्लॉक, वित्त भवन, ज्योति नगर, जनपथ, जयपुर

Website - dta.rajasthan.gov.in

e-mail Id- Jdb-ta-rj@nic.in

Fax - 2742309, Tel- 0141-2743752